न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
चोखाराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी कुकनवाली		अमरसिंह पुत्र फूलसिंह जाति राजपूत निवासी कुकनवाली

राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955

प्रार्थना–पत्र नम्बर 159 / 2021 **RCMS No.** 2021/186

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20/04/2021	वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनॉक 18.05.2021 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा 1021, 1022, 1023, 1109/996, 1110/998, 999 में अप्रार्थीगण 1 ता 28 बिना विधिक विभाजन के बेचान हस्तानान्तरण इत्यादि नही करे, अप्रार्थी संख्या 29 दस्तावेज पंजियन स्वीकार नही करे, अप्रार्थी संख्या 30 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनॉक 18.05.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
23/04/2021	वकील प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। पक्षकारान विधिक प्रक्रिया को [illegible] कराने को चाहते हुए है, अतः [illegible] प्रार्थना पत्र जरिये [illegible] खारिज किया जा[illegible] प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र एवं जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो	

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 17:03:01 IST
Reason: SelfAttested